



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2017/माघ 21, 1938

No. 98]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017/MAGHA 21, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 121(अ).- केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 659(अ), तारीख 4 जुलाई, 2016 को प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित प्रारूप नियमों की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, तीस दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 4 जुलाई, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियम कहा गया है) नियम 125 में, उपनियम (1-ग) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु सड़क पर चालन के यान सवारी मार्ग पर चेसिस, जब-जब और कहीं भी स्वयं शक्ति का उपयोग के लिए इसके स्वयं चक्र द्वारा इस केवल उपनियम लागू है तथा उन सवारी मार्ग के चेसिस पर लागू नहीं होगा जो ट्रेलरों या परिवहन के अन्य ढंग द्वारा परिवहित किया जाता है।"

[फा. सं. आरटी-11036/26/2015- एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार सा.का.नि. सं.1183(अ), तारीख 29.12.2016 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2017

G.S.R. 121(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), was published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 659 (E), dated the 4th July, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

AND whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 4th July, 2016;

AND whereas, no objection and suggestions received from the public in respect of the said draft rules.

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, in rule 125, in sub-rule (1C), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that this sub-rule is applicable only to those drive away chassis vehicles driven on road, whenever and wherever, by its own wheels using own power and not applicable to those drive away chassis vehicles that are transported upon trailers or by any other mode of transportation.”

[F. No. RT-11036/26/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.S.R.1183(E), dated 29.12.2016.